भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2544

मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

झांसी में पंजीकृत स्टार्ट-अप

2544. श्री अनुराग शर्माः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झांसी जैसे छोटे शहरों में स्टार्ट-अप पंजीकरण और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए है; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान झांसी में पंजीकृत स्टार्ट-अप और एमएसएमई की संख्या कितनी है और उन्हें क्या सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार, देशभर में स्टार्टअप पंजीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिसमें झांसी जैसे जिले और शहर भी शामिल हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप के रूप में मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया को एक इंटरैक्टिव स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से सुव्यवस्थित और पूर्णतः डिजिटल बना दिया गया है, जिससे देश के किसी भी भाग से इसे एक्सेस किया जा सकता है। मान्यता प्रदान करने के लिए दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को स्व-प्रमाणन के साथ सरल बनाया गया है। मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर मान्यता प्रदान करने संबंधी हैंडबुक और ट्यूटोरियल भी तैयार और अपलोड किए गए हैं। स्टार्टअप के रूप में मान्यता को बढ़ावा देने और उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए, स्टार्टअप हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की नोडल एजेंसियों और इन्क्यूबेटरों जैसे

क्षेत्रीय हितधारकों के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

जमीनी स्तर पर इन उपायों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जैसे कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित कर रही है, जो गैर-महानगरों सहित देशभर में स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करने को बढ़ावा और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

स्टार्टअप इंडिया यात्रा जैसी पहलें स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विषय में जागरूकता पैदा करती हैं और विशेष रूप से गैर-महानगरीय क्षेत्रों में उद्यमियों को सहायता प्रदान करती हैं। सरकार व्यापक स्तर पर ईकोसिस्टम-आधारित समारोहों (जैसे स्टार्टअप महाकुंभ) का भी आयोजन करती है जो देशभर के हितधारकों को एक साथ लाते हैं और स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करने को प्रोत्साहित करते हैं।

इन प्रयासों के लिए व्यापक सोशल मीडिया आउटरीच और ऑफलाइन सहायता तंत्र (जैसे कॉल सेंटर) पूरक के रूप में कार्य करते हैं, जो स्टार्टअप मान्यता को सहायता और बढ़ावा देते हैं।

सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई उपाय किए हैं। विशेष रूप से, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से, सरकार ने 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत कर दिया है। डीपीआईआईटी ने जन विश्वास 2.0 पहल के तहत विभिन्न अधिनियमों में विभिन्न आपराधिक प्रावधानों (प्रमुख और गौण दोनों अपराधों सहित) का विश्लेषण भी किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल के तहत किए गए उपायों में व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बिजनेस-रेडी मूल्यांकन, व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ कम करना, तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सिंगल विंडो सिस्टम (एसडब्ल्यूएस) को अपनाने को बढ़ावा देना शामिल है।

विशेष रूप से स्टार्टअप ईकोसिस्टम के लिए, सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ कम करने के लिए 60 से अधिक उपाय किए हैं। इन उपायों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-।एसी के तहत लाभ से जुड़ी

कटौती, अनुपालन में छूट, घाटे को आगे ले जाना, भारतीय कंपनी में विलय (इन-बाउंड मर्जर) के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करना, त्वरित एक्जिट प्रावधान, सार्वजनिक खरीद में छूट आदि शामिल हैं।

(ख): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा पिछले तीन वित्त वर्ष (अर्थात वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25) में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले की कुल 129 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, विशेष रूप से झांसी जिले में, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) के तहत सहायताप्राप्त इन्क्यूबेटरों ने पिछले तीन वित्त वर्ष में तीन स्टार्टअप्स को 40 लाख रुपए की निधि अनुमोदित की है। इसके अलावा, झांसी के स्टार्टअप्स ने स्टार्टअप महाकुंभ में भी भाग लिया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) से प्राप्त इनपुट्स के अनुसार, पिछले तीन वित्त वर्ष (अर्थात वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25) में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले से उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) के तहत कुल 89,205 उद्यम पंजीकृत हैं।

विशेष रूप से झांसी में, पिछले तीन वित्त वर्ष में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि (सीजीटीएमएसई) के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 670 करोड़ रुपए की 9,797 गारंटियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, पिछले तीन वित्त वर्ष में उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के तहत, विशेष रूप से झांसी में 49 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 2,664 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के तहत झांसी के 469 लाभार्थियों को 4.38 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

*****